कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-कोण्डागांव (छ०ग०)

//विज्ञापन//

क्रमांक/344 /सामा0निर्वा0/स्थापना/2016 कोण्डागांव दिनांक 30 /07/2016

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक/27/स्था0/2016/1890 रायपुर दिनांक 15.07.2016 के द्वारा कोण्डागांव जिले के **सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के लिए** निम्न आरक्षण एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रक्रिया के अधीन पदों की भर्ती हेतु दिनांक 12/08/2016 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र	पदनाम	कुल पद	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनारक्षित	
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) (04 माह हेतु)	02	-	-	02	-	-	-	-	-

नियुक्ति प्राधिकारी :- नियुक्ति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-कोण्डागांव द्वारा की जावेगी।

शैक्षणिक योग्यता/वेतनमान/तकनीकी अर्हताएं

- **डाटा एन्ट्री आपरेटर-संविदा (04 माह हेतु)**

(अ) सेवा श्रेणी-तृतीय

(ब) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर नियत वेतन बैण्ड पर स्वीकृत संविदा वेतन अनुसार।

(i) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

(ii) डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोंग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 01 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(स) कोण्डागांव जिले के मूल निवासी ।

नियम एवं शर्ते :-

01. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 01.01.2016 की स्थिति में 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी तथा नियमानुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान रहेगा।
02. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सहित उम्मीदवार का आवेदन दिनांक ..12/08/2016........ तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोण्डागांव में प्राप्त हो जाना चाहिए।
03. आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
04. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र व दिनांक लेख करना तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
05. आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
06. जन्मतिथि दर्शाने वाली शैक्षणिक योग्यता प्रमाण की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
07. लिफाफे के ऊपर पद का नाम एवं आवेदक का नाम व पता अवश्य लिखें।
08. आवेदक आवेदन पत्र के साथ एक लिफाफा अपने नाम एवं पूर्ण पता अंकित कर एवं आवश्यक डाक टिकिट चस्पा कर आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
09. शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं स्वशायी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
10. कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई महिला उम्मीदवार, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
11. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
12. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
13. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक सन्तान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
14. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी, ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें।
15. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले, किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
16. आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।